जगदिश / समाधान

2011.4.24 खारसलै ग्राम की श्रीमती उषा प्रार्थिका पूर्व पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध है। पीठासीन अधिकारी का स्थान हटाये जाने के कारण प्रार्थना को रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। वाद समाप्त होकर दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
भागलपुर (बिहार)